प्रशिक्षण मॉड्यूल-4

एसएचजी महिलाओं के उद्यम विकास के लिए सरकार द्वारा समर्थित व्यावहारिक उद्यम योजनाओं का संग्रह

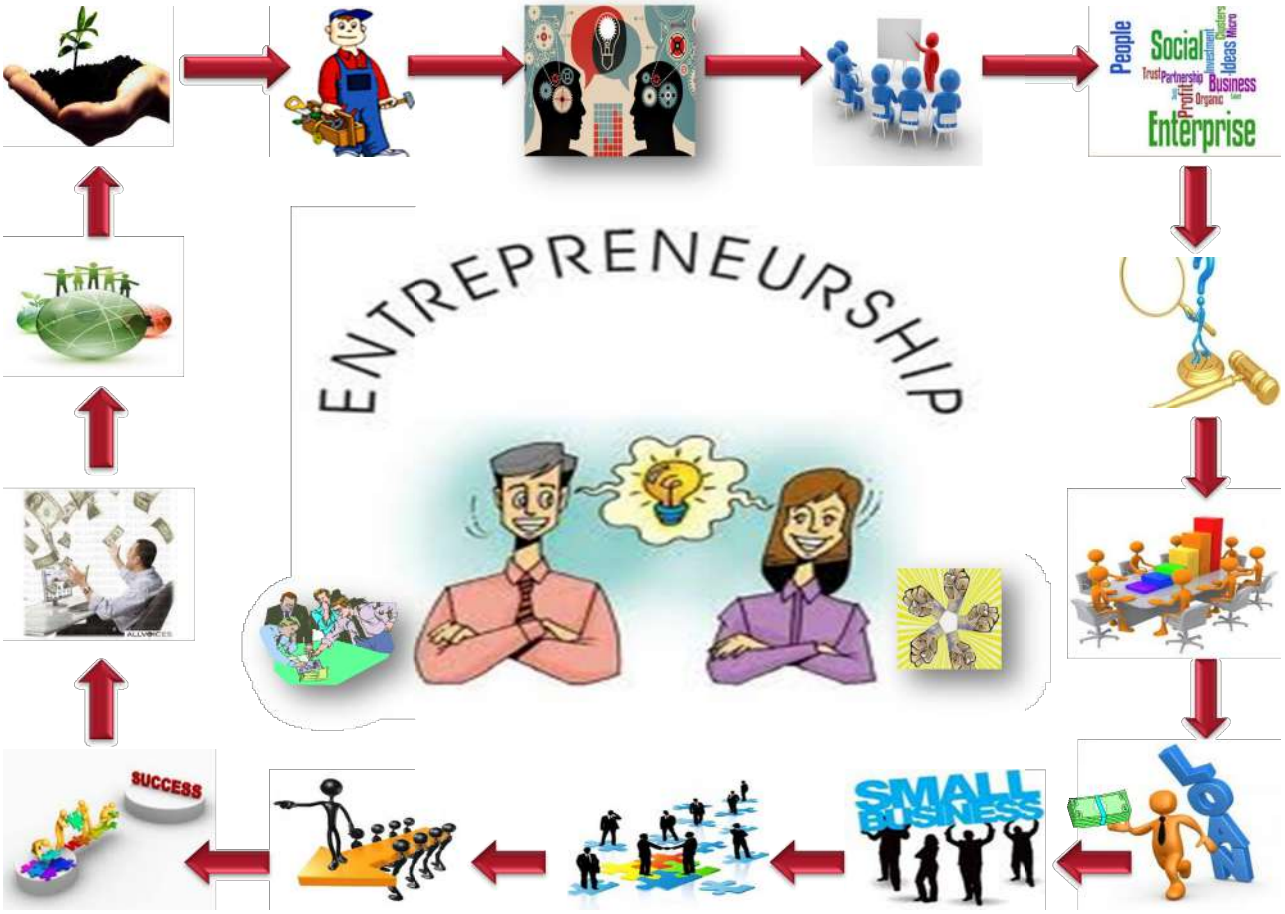

मॉड्यूल - 4

कुल अवधि - 8 घंटा

दिवस	समय अवधि	प्रशिक्षण सत्र का विषय	प्रशिक्षण विधि	प्रशिक्षण सामग्री
पहला दिन	10 मिनट	प्रार्थना	सहभागिता	--------
पहला दिन	10 मिनट	प्रशिक्षण का उद्देश्य	सहभागिता	----------
भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं				
पहला दिन	1 घंटा 30 मिनट	उद्यम विकास के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं	बड़े समूह में परिचर्चा, व्याख्यान, प्रश्न-उत्तर,	चार्ट पेपर, मार्कर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, दृश्य-श्रव्य सामग्री
पहला दिन	10 मिनट	टी टाइम	--------	--------
पहला दिन	2 घंटा	उद्यम विकास के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं	बड़े समूह में परिचर्चा, व्याख्यान, प्रश्न-उत्तर,	चार्ट पेपर, मार्कर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, दृश्य-श्रव्य सामग्री
दूसरा दिन	10 मिनट	प्रार्थना	सहभागिता	--------
दूसरा दिन	2 घंटा	कृषि और गैर-कृषि व्यवसाय और ऋण के स्रोत एवं बाजार लिंकेज से संबंधित भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं	बड़े समूह में परिचर्चा, व्याख्यान, प्रश्न-उत्तर,	चार्ट पेपर, मार्कर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, दृश्य-श्रव्य सामग्री
दूसरा दिन	10 मिनट	टी टाइम	--------	--------
दूसरा दिन	2 घंटा	सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता से संबंधित अतिरिक्त सरकारी योजनाएं	बड़े समूह में परिचर्चा, व्याख्यान, प्रश्न-उत्तर	चार्ट पेपर, मार्कर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, दृश्य-श्रव्य सामग्री

प्रार्थना-चेतना गीत

इतनी शक्ति हमें देना दाता, मनका विश्वास कमजोर हो ना
हम चलें नेक रस्ते पे, हमसे भूलकर भी कोई भूल हो ना

दूर अज्ञान के हो अँधेरे, तू हमें ज्ञान की रौशनी दे
हर बुराई से बचके रहें हम, जीतनी भी दे भली ज़िन्दगी दे
बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना

हम चलें नेक रस्ते पे, हमसे भूलकर भी कोई भूल हो ना.....

हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें क्या किया है अर्पण
फूल खुशियों के बांटें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन
अपनी करुणा को जल तू बहा के, करदे पावन हर एक मन का कोना

हम चलें नेक रस्ते पे, हमसे भूलकर भी कोई भूल हो ना.....

हर तरफ़ ज़ुल्म है बेबसी है, सहमा-सहमा सा हर आदमी है
पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है
बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत हो ना

इतनी शक्ति हमें देना दाता.....

प्रार्थना

प्रशिक्षक को सर्वप्रथम प्रतिदिन सदस्यों से खड़े होकर प्रार्थना के लिए कहना चाहिए। यह प्रार्थना सदस्यों के सहमति से गाना चाहिए। सदस्यों को कोई भी प्रार्थना याद नहीं रहने की स्थिति में प्रशिक्षक को इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के शुरुवात में दिए गए चेतना गीत के मदद से प्रार्थना की शुरुवात करना चाहिए।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

प्रार्थना सत्र के संचालन के पश्चात प्रशिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य एवं सत्र परिचय विस्तृत रूप से करना चाहिए।

एसएचजी महिलाओं के उद्यम विकास के लिए सरकार द्वारा समर्थित उद्यम योजनाओं

इसका उद्देश्य ग्रामीण एसएचजी महिलाओं के उद्यम विकास के लिए सरकार द्वारा समर्थित उद्यम योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना व उनकी उद्यम स्थापना में मदद करना और उद्यमों के स्थिर होने तक सहायता उपलब्ध कराना है एवं उदयम के सहायता से महिलाओं को गरीबी से बाहर निकालना है। साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने एवं उद्यमियों की शंकाओं व समस्याओं का निदान व उपचार करना है।

महिला उद्यमियों के रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने कई तरह की योजनाएं चला रखी है। उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए पूंजी एक प्रमुख कारक है। इसके लिए विभिन्न बैंक महिला उद्यमियों के लिए सस्ती दरों पर विशेष ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की उद्यमशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कई सारी ऐसी योजनाएं लागू की गई है, जिससे महिला उद्यमी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में हर जगह देखी जा सकती हैं। इन योजना के तहत महिलाएं न सिर्फ खुद का बिजनेस शुरू कर सकेंगी, बल्कि आत्मनिर्भर भी होगी। आज हम आपको ऐसी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है।

समय अवधि: 20 मिनट

एसएचजी महिलाओं के उद्यम विकास के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं

उद्देश्य: एसएचजी महिलाओं के उद्यम विकास के लिए और कृषि और गैर-कृषि व्यवसाय एवं सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता से संबंधित भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं की आवश्यकता और महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन करना।

तथ्य / विषय:

- उद्यम विकास के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं

प्रक्रिया प्रशिक्षण सामग्री:

1. चार्ट, 2. मार्कर, 3. ओवरहेड प्रोजेक्टर 4. दृश्य-श्रव्य सामग्री

प्रशिक्षण का तरीका:

- बड़े समूह में परिचर्चा, व्याख्यान, प्रश्न - उत्तर। ट्रेनर को उपरोक्त तरीका प्रयोग करने का निर्देश

1. जिला उद्योग केंद्र

ज़िला उद्योग केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उत्पन्न करना है। ज़िला उद्योग केंद्रों के कार्यक्रम को छोटे शहरों में छोटे, कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योग (SSI) को बढ़ावा देने के लिए और विशेष क्षेत्रों में उन्हें सभी मूलभूत आवश्यकताओं, सेवाओं और सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1978 में शुरू किया गया था। ज़िला उद्योग केंद्रों का मैनेजमेंट और संचालन ज़िला स्तर पर किया जाता है ताकि उद्यमियों या पहली बार व्यापार करने वाले लोगों को अपने छोटे और मध्यम व्यवसाय (MSMEs) शुरू करने के लिए सभी आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान

की जा सकें। ज़िला उद्योग केंद्र औद्योगिक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन और विकास को भी बढ़ावा देता है। इस विभाग में प्रति वर्ष योजना के अंतर्गत महिला व पुरुष के लिए किसी भी प्रकार का स्वरोजगार के लिए ५ लाख से लेकर २५ लाख तक का सब्सिडी युक्त लोन ४ से ५ प्रतिशत की दर से ५ साल के लिए किया जाता है।

जिला उद्योग केंद्र के निम्न कार्य होते हैं -

- लोन सुविधाओं, मशीनरी और उपकरणों की व्यवस्था
- औद्योगिक समूहों का विकास और विस्तार
- उपयुक्त योजनाओं की पहचान
- नए उद्यमियों को पहचानना और आर्थिक रूप से मदद करना
- परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- छोटी इकाई को आर्थिक सहायता प्रदान करना
- कच्चा माल उपलब्ध कराना

❖ **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSCFDC): -** ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के पेशेवर जिनकी वार्षिक आय 40,000 रु. है और शहरी क्षेत्रों के पेशेवर जिनकी वार्षिक आय 55,000 रु. हैं, वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं

❖ लोन की जानकारी:

ब्याज दर	लोन राशि पर निर्भर करता है(6%-10% प्रति वर्ष)
व्यवसाय की लागत	30 लाख तक
लोन राशि	90% तक
सब्सिडी	BPL लाभार्थी को Rs. 10,000
भुगतान अवधि	10 वर्ष तक
प्रमोटर का योगदान	2% - 10%

❖ **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय और विकास निगम**

❖ लोन की जानकारी:

ब्याज दर	6% प्रति वर्ष
व्यवसाय की लागत	Rs. 10 लाख तक
लोन राशि	90% तक
भुगतान अवधि	10 वर्ष तक
प्रमोटर का योगदान	10% तक

❖ **राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम**

❖ **लोन की जानकारी:**

ब्याज दर	5%-6% प्रति वर्ष
लोन राशि	Rs. 5 लाख तक
भुगतान अवधि	10 वर्ष तक
प्रमोटर का योगदान	5% तक

❖ **राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग वित्त एवं विकास निगम**

❖ **लोन की जानकारी:**

ब्याज दर	लोन राशि पर निर्भर करता है - आमतौर पर 4% - 8% प्रति वर्ष
लोन राशि	Rs. 25 लाख तक
भुगतान अवधि	10 वर्ष तक
प्रमोटर का योगदान	10% तक

2. जिला खादी ग्रामोद्योग विभाग - यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने के लिए "पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना" शुरू की है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार युवाओं को 25 लाख रुपये तक ऋण (Loan) मुहैया कराएगी।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत, योग्य उम्मीदवार को निजी और सहकारी बैंकों के माध्यम से 25 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों पर ऋण स्वीकृत किया जाएगा। अनुमोदन के बाद, ऋण की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। परियोजना की 5% लागत उद्यमियों द्वारा स्वयं की जाएगी। ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2021 हेतु पात्रता/योग्यता शर्तें

- यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए लागू है।
- युवाओं की आयु 18 से 40 वर्ष (Year) के बीच होनी चाहिए।
- 15 लाख से अधिक ऋण (Loan) प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से अकादमिक योग्यता न्यूनतम 10 वीं पास होना आवश्यक है।
- पंजीकरण फॉर्म (Registration Form) भरने के दौरान आधार कार्ड अनिवार्य है।
- युवाओं के पास कोई कार्य अनुभव होने पर उससे सम्बंधित दस्तावेज जरूरी हैं।
- 50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति के लाभार्थी।

3. उत्तर प्रदेश सरकार की 'टेक-होम राशन' (Take home ration) योजना

उत्तर प्रदेश सरकार की 'टेक-होम राशन' योजना के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों (SHG) के जरिए राशन की सप्लाई करेगी. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता किया है. इससे लगभग 200 महिला स्व-सहायता समूहों उद्यमों को 1,200 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर के साथ कारोबार होगा। एक गरीब परिवार की महिला को टेक-होम राशन से जुड़ने और वित्तीय स्थिति बढ़ाने को सक्षम बनाने में मदद करता है जो उन्हें गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेगा।

4. यूपी महिला समर्थ योजना

इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित किया जाएगा तथा स्थानीय संसाधनों के आधार पर होम एंड कॉटेज उद्योगों के माध्यम से उनके जीवन स्तर मैं सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को अपनी उपज को बेचने के लिए सरकार द्वारा बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

इस योजना के पहले चरण में 200 विकास खंडों में महिला सामान्य सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर प्रशिक्षण, सामान्य उत्पादन और प्रसंस्करण, तकनीकी अनुसंधान और विकास, पैकेजिंग, लेवलिंग, बारकोडिंग सुविधा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रत्येक सुविधा केंद्र का 90% प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यूपी महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत राज्य और जिले दोनों स्तरों पर दो स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति का गठन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किया जाएगा तथा राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति के साथ जिला स्तरीय कमेटी को काम करना होगा। प्रत्येक जिले में गठित समिति पात्र महिला समूह और संगठनों की पहचान करेगी और उनका मार्गदर्शन करेगी।

UP Mahila Samarthya Yojana 2021 के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सामान्य जागरूकता, परामर्श कार्यक्रम, एक्स्पोज़र, सेमिनार, कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

5. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत राज्य की बेरोजगारी की समस्या को कम करने

और प्रदेश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी । युवा स्वरोजगार योजना 2021 के तहत उत्तर प्रदेश के योग्य बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर में लोन सुविधा प्रदान की जाएगी ।

इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओ को ही पात्र माना जायेगा । मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2021 के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदना की जाएगी । साथ ही सरकार द्वारा परियोजना लागत की कुल राशि की 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी । उधोग क्षेत्र के लिए अधिकतम 6.25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के लिए 2.50 लाख रूपये का मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी ।

इसके लिए इच्छुक लाभार्थी जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह ऋण एक जनपद एक उत्पाद के लाभार्थियों की प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम Rs. 2500000 एवं सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम Rs. 1000000 तक का ऋण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लोगों को लोन की राशि का 10% अंशदान जमा करना होगा तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांग लाभार्थियों को 5% अंशदान जमा करना होगा। इसी के साथ यदि उद्यम शुरू होने के बाद 2 वर्ष तक उद्यम सफलतापूर्वक चलता है तो सरकार द्वारा प्रदान किया गया लोन अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा।

6. महिला उद्यम निधि योजना (Mahila Udyam Nidhi Scheme)

महिला उद्यम निधि योजना को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत उद्देश्य लघु उद्योग में शामिल महिला उद्यमों को ऋण दिया जाता है। ऋण राशि को महिला उद्यमी द्वारा 10 वर्षों की अवधि में बड़ी ही आसानी से चुकाया जा सकता है। महिला निधि योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, डे केयर सेंटर, ऑटो रिक्शा सेमत अलग-अलग ऋण योजनाएं भी शामिल है। इसी योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि 10 लाख रुपये हैं।

7. उद्योगिनी योजना (Udyogini Scheme)

इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष उम्र की महिलाओं को व्यवसाय, कृषि, खुदरा और छोटे उद्यमी क्षेत्र में काम करने के लिए एक लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है। अगर महिला उद्यमी के परिवार की वार्षिक आय 45000 से कम है, तभी वह इस योजना के द्वारा ऋण ले सकते हैं। इसमें एससी और एसटी श्रेणियों की विधवा, निराशत्र या विकलांग महिलाओं को 10 हजार तक के ऋण पर 30% की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। उद्योगिनी योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के द्वारा महिला उद्यमी अपने स्टार्टअप को काफी अच्छा ग्रो कर सकती हैं।

8. मुद्रा योजना (Mudra Yojana Scheme)

इस योजना के तहत व्यवसाय छोटे उद्यमों से शुरू करने वाली महिलाओं को लोन दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत वे महिलाएं जो, अपना व्यवसाय छोटे

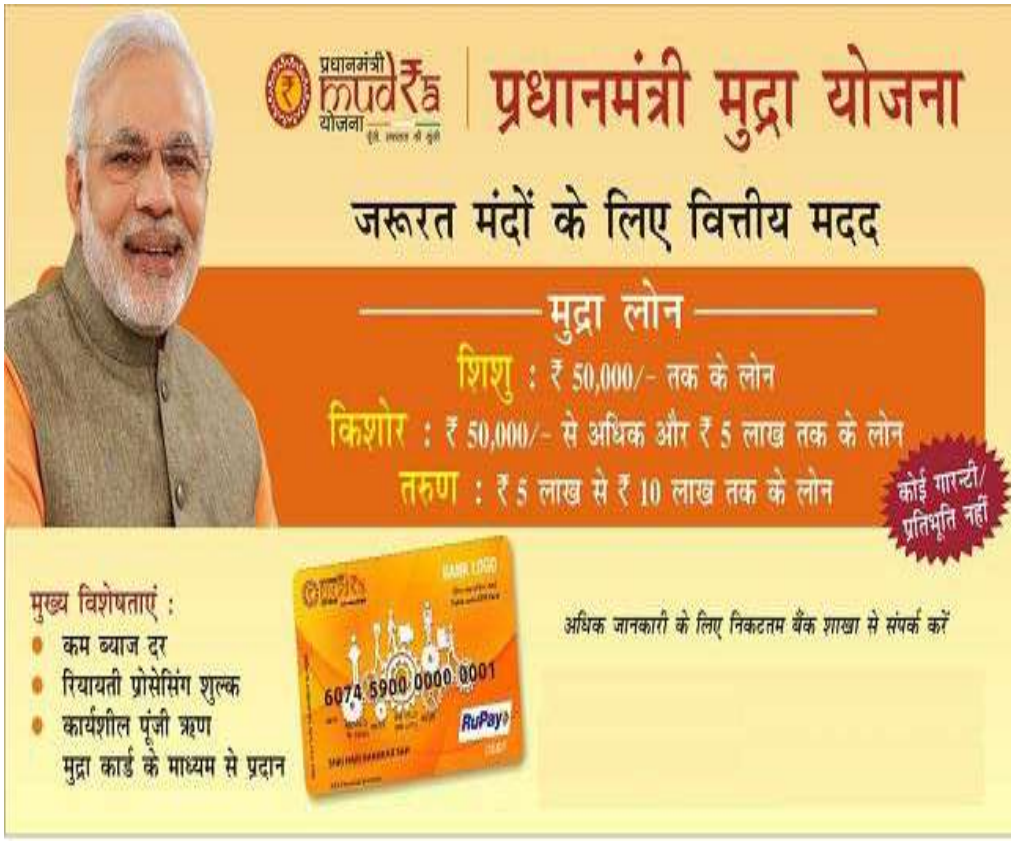

उद्यमों से शुरू करना चाहती हैं, जैसे ट्यूशन सेंटर, टेलरिंग यूनिट या फिर ब्यूटी पार्लर तो उन्हें किसी सम पार्श्विक गारंटर की आवश्यकता के बिना ऋण दिया जाता है. ऋण प्रदान करते समय आपको एक मुद्रा कार्ड भी दिया जाएगा और यह मुद्रा कार्ड आपके क्रेडिट कार्ड के समान ही कार्य करेगा और इस पर ऋण राशि के 10% तक सीमित धनराशि जमा होगी. मुद्रा योजना का लाभ आप तीन जनों के द्वारा उठा सकते हैं, जो कि इस प्रकार है -

- शिशु - इसमें ऋण राशि 50000 तक सीमित हैं
- किशोर - इसमें ऋण राशि 50000 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच होती हैं. इसका लाभ स्थापित उद्यम वाले लोगों द्वारा उठाया जा सकता है
- तरुण - इसमें ऋण राशि 1000000 रुपए तक की होती हैं

इन तीन चरणों के द्वारा महिला उद्यमी इस मुद्रा योजना का लाभ बड़ी ही आसानी से उठा सकती हैं और अपने व्यवसाय को अच्छा कर सकती है।

9. भारतीय महिला बैंक व्यवसायिक ऋण (Bharatiya Mahila Bank Business Loan)

भारतीय महिला बैंक व्यवसायीक ऋण को उन महिला उद्यमियों के लिए लागू किया गया है, जो नया उद्यम खुदरा क्षेत्र में संपत्ति और SME से शुरू करना चाहती है। महिला उद्यमी को इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 20 करोड़ तक दी जाती हैं और जिस पर 0.25% की छूट भी दी जाती है। इसे ऋण राशि पर ब्याज दर आमतौर पर 10.15% या फिर उससे अधिक की होती है। भारतीय महिला बैंक व्यवसायीकरण योजना की सबसे अच्छी बात यह है, कि यह लघु और सूक्ष्म उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत एक करोड़ तक के ऋण के लिए सवपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है।

10.ओरिएंटल महिला विकास योजना (Orient Mahila Vikas Yojana Scheme)

इस योजना के तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा उन महिलाओं को लोन उपलब्ध कराती

है, जो व्यक्तिगत रूप से या फिर संयुक्त रूप से एक मालिकाना चिंता के चलते 51% शेयर पूंजी रखती हैं। इस योजना के तहत महिला उद्यमी को लघु उद्योगों के लिए 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का ऋण दिया जाता है। हालांकि, इस ऋण को लेने के लिए किसी भी प्रकार के गारंटर की आवश्यकता नहीं होती हैं। महिला उद्यमी अपने ऋण का पुर्नभुगतान 7 वर्ष की अवधि के दौरान कर सकती है। इसके तहत 2% ऋण ब्याज दर की महिला उद्यमी को रियायत भी दी जाती हैं।

11.अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme)

अन्नपूर्णा योजना के तहत वे महिला उद्यमी जो पैक किए गए भोजन, नाश्ते आदि खाद्य वस्तुओं को बेचने के लिए खाद्य खानपान उद्योग स्थापित करना चाहती हैं। इस योजना के

भीतर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर द्वारा महिला उद्यमियों को 50 हजार रुपये का लोन दिया जाता

है। महिलाएं इसे 36 महीनों की मासिक किस्तों पर भुगतान कर सकती है। यह ऋण महिला उद्यमी की प्राथमिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि बर्तन और अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए। इस ऋण की ब्याज दर बाजार दर के हिसाब से लगाई जाएगी और यह ऋण प्राप्त करने के लिए महिला उद्यमी को एक गारंटर की आवश्यकता होती हैं, क्योंकि बिना गारंटर महिला उद्यमी को यह ऋण नहीं दिया जाएगा. भारत सरकार द्वारा उठाया गया महिला उद्यमीयों के लिए काफी अच्छा कदम हैं।

12.देना शक्ति योजना (Dena Shakti Scheme)

अगर महिला उद्यमी कृषि, विनिर्माण ,सूक्ष्म-ऋण, खुदरा स्टोर या फिर सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र

में अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहती हैं और जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती हैं। उन्हें ऋण देना शक्ति योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। महिला उद्यमी को खुदरा व्यापार के लिए इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 20 लाख दी जाती है, जिस पर ब्याज दर जीरो प्वाइंट 25% होती हैं। ऋण में प्रदान की गई बैंक द्वारा इस राशि को महिला उद्यमी किस्तों के मासिक भुगतान के द्वारा बड़ी ही आसानी से चुका सकती हैं।

13. सेंट कल्याणी योजना (Cent Kalyani Scheme)

अगर महिला अपना नया उद्यम शुरू करना चाहती हैं या फिर उसे संशोधित करना चाहती हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें ऋण की डीएचएस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत यह ऋण उन महिला उद्यमियों द्वारा लिया जा सकता है जो गांव, लघु और मध्यम उद्योगों, स्वरोजगार, कृषि खुदरा व्यापार जैसे व्यवसायिक उद्यमों में शामिल होती हैं।

इसी योजना के तहत महिला उद्यमी को ऋण लेते समय किसी भी गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं और इस योजना के तहत दी जाने वाले अधिकतम ऋण राशि 1 लाख हैं।

14. स्त्री शक्ति योजना (Stree Shakti Packages)

यह योजना महिला उद्यमियों को ऋण राशि में छूट की दर प्रधान करवाती हैं। इसी योजना के तहत अगर महिला उद्यमी की ऋण की राशि 20 लाख रुपये से अधिक होती हैं, तो यह 0.50% की छूट उस ब्याज दर पर प्रदान करवाती है। सरकार द्वारा इसी योजना को एसबीआई बैंक की अधिकांश शाखाओं द्वारा संचालित की गई है।

15.महिला उद्योग निधि (MUN) योजना

महिला उद्योग निधि (MUN) योजना स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक (SIDBI) के तहत

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सशक्त बनाने और कम ब्याज दरों पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना महिला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। महिला उद्योग निधि योजना द्वारा प्रदान किए जाने वाले फंड का उपयोग मध्यम और छोटे व्यवसाय (MSME) द्वारा सर्विस, मैन्चुफैक्चरिंग और प्रॉडक्शन से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। महिला उद्योग निधि योजना के तहत, महिला उद्यमी अपना खुद का बिज़नस या स्मॉल बिज़नस शुरू करने के लिए 10 लाख रु. के लिए लोन सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दरें एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग-अलग हो सकती हैं। मौजूदा प्रोजेक्ट को अपग्रेड या बढ़ाने के लिए फंड सपोर्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम लोन भुगतान अवधि 5 वर्ष से 10 वर्ष तक है।

प्रोजेक्ट प्रोफाइल की विशेषताएं

- आपके प्रोजेक्ट का खर्च 10 लाख रु. से अधिक नहीं होना चाहिए

- प्रोजेक्ट खर्च के 25% तक का लोन, अधिकतम 2.5 लाख रु. प्रति प्रोजक्ट महिला उद्यमियों के लिए पेशकश की जाती है
- लोन भुगतान अवधि 10 वर्ष तक है, जिसमें 5 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि (लोन लेने के पाँच वर्ष बाद उसका भुगतान शुरू करना) शामिल है

इसके अलावा, महिला उद्यमियों द्वारा अपना बिज़नस शुरू करने के लिए कोई सिक्योरिटी या गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। यह योजना महिला उद्यमियों को अपना खुद का बिज़नस शुरू करने में मदद करती है और उन्हें अपने हित और कौशल के क्षेत्र में बढ़ने और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करती है ।

16.प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

यह योजना 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाते की आधारभूत सुविधा, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा एवं पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना है । आपका कोई पुराना बैंक खाता है तो उसे भी जनधन खाता

में बदलवाना आसान है. इसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाकर रुपे कार्ड के लिए आवेदन करना होगा और एक फॉर्म भरते ही आपका बैंक अकाउंट जनधन योजना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा । आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या PAN कार्ड, वोटर कार्ड, NREGA जॉब कार्ड, अथॉरिटब्भिक से जारी लेटर, जिसमें नाम, पता और आधार नंबर लिखा हो, गजेटेड आफिसर द्वारा जारी लेटर जिसपर खाता खुलवाने का अटेस्टेड फोटो लगा हो । डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है, खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है, जनधन खाता है तो आप ओवरड्रॉफ्ट के जरिए अपने खाते से अतिरिक्त 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं, मगर ये सुविधा जन धन खाते के कुछ महीनों तक सही से रखरखाव के बाद ही मिलती है । 2 लाख रुपये तक एक्सिडेंटल इंश्योरेंस कवर. 30,000 रुपये तक का लाइफ कवर, जो लाभार्थी की मृत्यु पर योगयता शर्ते पूरी होने पर मिलता है । जन धन खाता खोलने वाले को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है जिससे वह खाते से पैसे निकलवा सकता है या खरीददारी कर सकता है ।

जनधन खाते के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट्स खरीदना आसान है । जनधन खाता है तो पीएम किसान और श्रमयोगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता खुल जाएगा, देश भर में पैसों के ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। सरकारी योजनाओं के फायदों का सीधा पैसा खाते में आता है ।

राज्य एवं भारत सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इन सभी अच्छी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए बैंक और सरकार द्वारा उठाए गए यह कदम काफी लाभान्वित हैं।

समय अवधि: 3 घंटे 30 मिनट

कृषि और गैर-कृषि व्यवसाय और ऋण के स्रोत एवं बाजार लिंकेज से संबंधित भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं

उद्देश्य: एसएचजी महिलाओं के उद्यम विकास के लिए और कृषि और गैर-कृषि व्यवसाय एवं सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता से संबंधित भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं की आवश्यकता और महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन करना।

तथ्य / विषय:

- कृषि और गैर-कृषि व्यवसाय और ऋण के स्रोत से संबंधित सरकारी योजनाएं

प्रक्रिया प्रशिक्षण सामग्री:

1. चार्ट, 2. मार्कर, 3.ओवरहेड प्रोजेक्टर 4. दृश्य-श्रव्य सामग्री

प्रशिक्षण का तरीका:

- बड़े समूह में परिचर्चा, व्याख्यान, प्रश्न - उत्तर। ट्रेनर को उपरोक्त तरीका प्रयोग करने का निर्देश

1. स्टैंड अप इंडिया स्कीम

इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल, 2016 को की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में

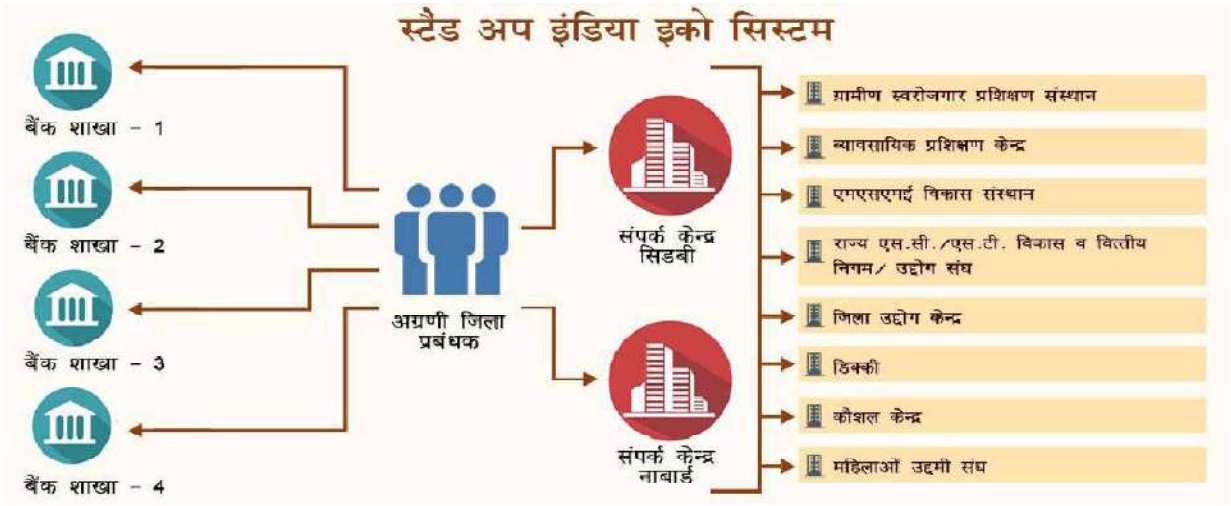

निचले स्तरों पर आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार के मौके बनाना है साथ ही, कारोबार को बढ़ावा देना है । इस योजना का उद्देश्य संस्थागत लोन का फायदा ऐसे वर्गों तक पहुंचाना है, जहां इनकी पहले पहुंच नहीं थी और इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला

कारोबारी है । इस योजना का उद्देश्य 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बैंक लोन को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) की प्रत्येक शाखा से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक सदस्य और कम से कम एक महिला उद्यमी को ऋण की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे हरित क्षेत्र उद्यमों की स्थापना कर सके ।

स्टैंड-अप इंडिया अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाती एवं महिला उद्यमियों को वित्त प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना है।

उद्देश्य:

स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य बैंक की प्रत्येक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति (अजा) या अनुसूचित जनजाति (अज) एवं एक महिला उद्यमी द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रु तक के ऋण की सुविधा प्रदान करना है. यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र के हो सकते है ।

पात्रता:

- 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाती और/या महिला उद्यमी।
- इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए ही ऋण प्रदान किए जाएंगे. इस संदर्भ में ग्रीनफील्ड अर्थात विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में लाभार्थी का पहला उद्यम।
- गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, 51 % शेयर-धारिता एवं हित का नियंत्रण या तो अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाती और/या महिला उद्यमी के पास होना चाहिए।
- उधारकर्ता का किसी बैंक/वित्तीय संस्था में कोई चूक (default) नहीं होना चाहिए।

2. डेयरी उद्योगिता विकास योजना: नाबार्ड

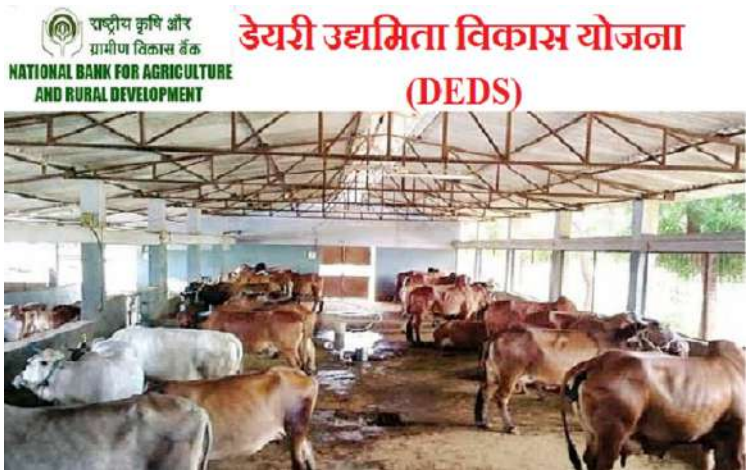

नाबार्ड का डेरी उद्यमिता विकास योजना, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना, बछिया पालना को प्रोत्साहित करना, असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए और स्वयं रोजगार क अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक केंद्र प्रयोजित योजना है।

यह एक पशुपालकों को डेयरी शुरु करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजना है। इस योजना के तहत डेयरी शुरु करने के लिए या पुरानी डेयरी का विकास करने के लिए नाबार्ड बैंक से 33 प्रतिशत तक सरकारी सब्सिडी पर लोन मिलता है। इस योजना को शुरु करने का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन करना है।

पात्रता/योग्यता

1. किसान, व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर-सरकारी संगठन कंपनियों पेशनरों, स्वयं सहायता समूहों, डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध संघों, दूध महासंघों आदि सहित संगठित क्षेत्र।
2. एक व्यक्ति प्रत्येक घटक के लिए केवल एक बार इस योजना के तहत सभी घटकों कलभ उठाने का पात्र हो सकता है।
3. एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी लाभाविंत हो सकते हैं।यदि वे अलग-अलग स्थानों पर अलग बुनियादी सुविधाओं के साथ अलग इकाइयों की स्थापना करते हैं।

अनुदान पैटर्न

1. उद्यमी योगदान: परिव्यय का 10% (न्यूनतम)
2. वापस में पूंजी सब्सिडी: सामान्य वर्ग के लिए 25% अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 35%।
3. प्रभावी बैंक ऋण : शेष भाग, परिव्यय का 40% न्यूनतम

वापसी

1. वापसी अवधि, गतिविधि और नकदी प्रवाह की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
2. वापसी अवधि 3 से 7 साल का होगा।
3. ग्रेस अवधि, डेयरी फार्मों के लिए 3 से 6 महीनों और बछड़ा पालन

निम्नलिखित सहायता के अंतत आने वाले इकाई/घटक

1. अधिकतम 10 संकर नस्ल की गायों/भैसों के साथ छोटे डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए 5 लाख रुपया।
2. अधिकतम 20 बछियों -बछड़ों के पालन (संकर नस्य/भैंस) के लिए 4.80 लाख
3. वर्मी कम्पोस्ट: 20,000
4. मिल्किंग मशीन/मिल्क कुलिंग इकाई (यूनिट): 18 लाख रुपया (20 लीटर क्षमता तक)
5. डेयरी उत्पाद परिवहन सुविधाओं और कोल्ड चैन की स्थापन के लिए 24 लाख।
6. निजी पशु चिकित्सा क्लिनिक: 2.4 लाख मोबाइल क्लिनिक के लिए 1.80 लाख स्थायी क्लिनिक के लिए।
7. डेयरी मार्किटिंग आउटलेट/डेयरी पार्लर: 56000/रुपया।

4. प्रधानमंत्री किसान मन-धन योजना (पीएम-केएमवाई)

सरकार ने 12 सितंबर, 2019 को प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) की शुरुआत की। इस योजना को शुरु करने का उद्देश्य देश के सभी लघु एवं सीमांत कृषि भूजोत वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन किसानों के पास वृद्धावस्था के लिए बहुत अल्प बचत होती है अथवा कोई बचत नहीं होती है एवं जीवन यापन करने के लिए कोई अन्य स्रोत नहीं होता है। इस स्कीम का उद्देश्य जब ऐसे लोग वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता देना है ताकि वे एक स्वास्थ्यपरक तथा खुशहाल जीवन यापन कर सकें।

मिलने वाले लाभ

इस स्कीम के तहत सभी पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को 3,000 रु. की निर्धारित पेंशन प्रदान की जाएगी किसानों को 55 से 200 रु. प्रतिमाह के बीच पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा। यहअंशदान 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक (सेवानिवृत्ति की तिथि तक) जमा करना होगा। केंद्र सरकार, पेंशन निधि में अंशदाता द्वारा अंशदान की गई राशि के बराबर की राशि अपनी और से जमा करेगी।

पात्रता

- जो किसान 18 वर्ष और 40 वर्ष की आयु के हैं वे इस स्कीम को अपनाने के लिए पात्र।
- लघु और सीमांत किसान (SMF)-वे किसान जिनके पास संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है।

5. बागवानी

जिला बागवानी अधिकारी, जिला स्तर पर उपनिदेशक (बागवानी) और राज्य स्तर पर निदेशक (बागवानी) से संपर्क करें

सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का पैमाना/अधिकतम सीमा		स्कीम/घटक
		अनुदान (सब्सिडी)	अधिकतम प्रति यूनिट अनुदान (सब्सिडी) क्षेत्र	
क - बागवानी के अंतर्गत सहायता				

1.	सब्जी बीज उत्पादन (अधिकतम 5 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी)	सामान्य क्षेत्र में 35%	सामान्य बीजों के लिए 35,000/- रुपये और संकर बीजों के लिए रुपये 1,50,000/- रुपये	- तदैव -
2.	उच्च तकनीकी पौधशाला (2-4)	क्रेडिट लिंक्ड एंडेड सब्सिडी के रुप में लागत का 40%	25.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर	- तदैव -
3.	छोटी पौधशाला (1 हेक्टेयर इकाई)	क्रेडिट लिंक्ड एंडेड सब्सिडी के रुप में लागत का 50%	15.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर	- तदैव -
4.	नये बाग की स्थापना (अधिकतम ४ हेक्टेयर प्रति लाभार्थी) (क) फल (टपक सिंचाई से युक्त)	सामान्य क्षेत्र में 40%	0.40 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से 2.20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर	- तदैव -
	(ख) फल (टपक सिंचाई के बिना)	सामान्य क्षेत्र में 40%	0.40 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से 2.20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर	- तदैव -
5.	मसाले की फसलें (अधिकतम 4 हे. प्रति लाभार्थी			
	क) बीज और प्रकन्द वाले मसाले	सामान्य क्षेत्र में 40%	12,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर 15,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर	- तदैव -
	(ख) बहुवर्षीय मसाले (काली मिर्च,	सामान्य क्षेत्र में 40%	20,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर 25,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर	- तदैव -
	फूल (लूज शल्क कन्दीय एवं कट्फ्लावर) (अधिकतम 2 हे. प्रति लाभार्थी)	40% (छोटे और सीमांत किसानों के लिए) 25% अन्य किसानों के लिए	16,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर 60,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर	
	सुगन्धित पौधे (अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी)	सामान्य क्षेत्र में 40%	16,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर 40,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर	- तदैव -

	पुराने बाग का जीर्णोद्धार (अधिकतम 2 हे. प्रति लाभार्थी)	लागत का 50%	रुपये 20,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर	- तदैव -
	परागण समर्थक मधुमक्खी पालन के लिए (अधिकतम 50 कालोनी प्रति लाभार्थी) (क) मधुमक्खी कालोनी (ख) मधुमक्खी के छत्ते	 लागत का 50% लागत का 50%	800/- रुपये प्रति कालोनी 800/- रुपये प्रति छत्ता	- तदैव -
	संरक्षित खेती (क) ग्रीन हाउस फैन एवं पैड हाउस (अधिकतम 4000 वर्ग मी. प्रति लाभार्थी तक सीमित)	लागत का 50%, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 15% अधिक)	700/- रुपये से 825/- रुपये प्रति वर्ग मीटर	- तदैव -
12	एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन			
	क) पैक हाउस/खेत पर संग्रह एवं भंण्डारण इकाई	लागत का 50%	9मी.×6मी. के परिमाप की प्रति इकाई के लिए 2.00 लाख रुपये	- तदैव -
	(ड) शीतगृह भंडारण इकाई (निर्माण/ विस्तार और आधुनिकीकरण) (अधिकतम 5000 मी. टन क्षमता)	- तदैव -	(i) टाइप-1 के लिए 2,800/- रुपये प्रति मी. टन (ii) टाइप-2 के लिए 3,500/- रुपये प्रति मी. टन (iii) नियंत्रित वातावरण तकनीक के घटक सहित टाइप- 2 के लिए र 3,500/- रुपये मी. टन	
(ख) राष्ट्रीय बाँस (बांबू) मिशन				
13.	(क) पौध सामग्री का	ऋण संबद्ध बॅक एन्डेड सब्सिडी के रुप में 40%	(i)16.00 लाख रुपये प्रति यूनिट (ii) 5.00 लाख	एमआईडीएच के अंतर्गत

	उत्पादन (i) हाई-टेक पौधशाला (2हे.) (ii) छोटी पौधशाला (0.5हे.)		रुपये प्रति यूनिट	राष्ट्रीय बांबू मिशन
(ग) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी)				
१४.	क) वाणिज्यिक बागवानी का विकास (i) खुले क्षेत्र के लिए	ऋण संबद्ध बॅक एन्डेड सब्सिडी के रुप में सामान्य क्षेत्रों के लिए लागत का 40% और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत का 50%	2 हे. कवर क्षेत्र की परियोजना के लिए 30.00 लाख रुपये प्रति परियोजना (खजूर पेड़, केसर, जैतून (वसपअम) के लिए 37.50 लाख रुपये)	एमआईडीए च के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की उपस्कीम
	(ii) संरक्षित कवर	ऋण संबद्ध बॅक एन्डेड अनुदान (सब्सिडी) के रुप में परियोजना लागत का 50%	56.00 लाख रुपये प्रति परियोजना	
	(iii) कटाई पश्चात एकीकृत प्रबंधन पकाई चैंबर, परिवहन वैन, खुदरा बिक्री केन्द्र, पूर्व-वातानुकूलित इकाई इत्यादि.	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना के लागत का 35% और अनुसूचित क्षेत्रों में लागत का 50%	50.75 लाख रुपये प्रति परियोजना	
	(ख) शीत भंडारण इकाई	ऋण संबद्ध बॅक एन्डेड सब्सिडी के रुप में 5000 मैट्रिक टन क्षमता से अधिक के लिए परियोजना लागत का 35% (पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों में लागत का 50%)	टाइप-1 के लिए 2,660/- रुपये प्रति मैट्रिक टन टाइप-2 के लिए 3,525/- रुपये प्रति मैट्रिक टन नियंत्रित वातावरण तकनीक के घटक सहित टाइप-2 के लिए 3,500/- रुपये प्रति मैट्रिक टन	

6. महिला किसानों के लिए विभिन्न स्कीमों/मिशनों के विशेष प्रावधान

राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) –

1.	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एजेंसी (आत्मा)		
i.	विशेष प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)		
	1.	महिला खाद्य सुरक्षा समूह (एफएसजी) को प्रोत्साहन	• अनिवार्य गतिविधि के रूप में आत्मा कैफेटेरिया के अंतर्गत घरेलू/गृह स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए स्थापित और समर्थित विशेषत: महिला किसान समूहों को गृहवाटिका, गैर कृषि गतिविधियों जैसे; सूकर पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादी को प्रोत्साहन देने के लिए @रु.0.10 लाख प्रति समूह/प्रति वर्ष आवंटित। • प्रति ब्लॉक न्यूनतम दो खाद्य सुरक्षा समूह के लिए सहायता उपलब्ध।
2.	एग्रीक्लिनिक एवं एग्रीबिजनेस केंद्र (एसीएबीसी)		
i.	प्रावधान (जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर या अतिरिक्त लाभ प्राप्त करती है)		
	1.	बैंक एंडिड कम्पोजिट सब्सिडी	• कुल परियोजना लागत का, पुरुषों के लिए 36% की तुलना में महिलाओं के लिए 44% बैंक एंडिड कम्पोजिट सब्सिडी।
ii.	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)		
	अ.	विशेष प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)	
	1.	लाभार्थी के रूप में	• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रावधान। • बागवानी मशीनीकरण के लिए उत्पादक संगठनों, किसान समूहों, स्व-सहायता समूहों, महिला किसान समूहों, जिसके कम से कम 10 सदस्य बागवानी फसलों की खेती कर रहे हों; बशर्ते ऐसे समूहों द्वारा मशीनों और उपकरणों की लागत का शेष

			60% खर्च वहन किया जाता है। राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) मशीनों और उपकरणों की विधिवत देख-रेख, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसे संगठनों/समूहों के साथ सहमति पत्र तैयार करेगा।
	ब.	सामान्य प्रावधान (जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर या अतिरिक्त लाभ प्राप्त करती है)	
	1.	कृषि मशीनों एवं उपकरणों की खरीद (सब्सिडी पद्धति)	
	1.1.	ट्रैक्टर	
	1.	ट्रैक्टर (20 पीटीओ हार्सपावर तक) (लागत मानक - रु. 3.00 लाख/ प्रति इकाई)	• महिलाओं के लिए लागत का 35%, अधिकतम 1.00 लाख रूपये प्रति इकाई जबकि पुरुषों के लिए लागत का 25%, अधिकतम रु. 0.75 लाख इकाई।
	2.	पावर टिलर	
		पावर टिलर (8 हार्सपावर से कम) (लागत मानक - रु. 1.00 लाख प्रति इकाई)	• महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.50 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए अधिकतम रु. 0.40 लाख/इकाई।
		पावर टिलर (8 बीएचपी एवं अधिक) (लागत मानक रु. 1.50 लाख/प्रति इकाई)	• महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.75 लाख/प्रति इकाई जबकि पुरुषों के लिए अधिकतम रु. 0.60 लाख/प्रति इकाई।
	3.	ट्रैक्टर/पावर टिलर चालित उपकरण (20 बीएचपी से कम)	
		भूमि विकास, जुताई और बीज की क्यारी बनाने का उपकरण (लागत मानक रु. 0.30 लाख/प्रति इकाई)	• महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.15 लाख जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.12 लाख/प्रति इकाई।
		बुवाई, रोपाई, कटाई एवं खुदाई यंत्र (लागत मानक रु. 0.30 लाख/प्रति इकाई)	• महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.15 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.12 लाख/प्रति इकाई।
		प्लास्टिक मल्चिंग मशीन (लागत मानक रु. 0.70 लाख/प्रति इकाई)	• महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.35 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.28

			लाख/प्रति इकाई।
		हस्तचालित बागवानी मशीनें (लागत मानक रु. 2.50 लाख/प्रति इकाई)	• महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 1.25 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 1.00 लाख/प्रति इकाई।
		पौध संरक्षण उपकरण मैन्यूल स्प्रेयर: नैपसैक/पद्चालित स्प्रेयर (लागत मानक रु. 0.012 लाख/प्रति इकाई)	• महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.006 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.005 लाख/प्रति इकाई।
		पावर चालित नैपसैक स्प्रेयर/पावर चालित ताइवानी स्प्रेयर (क्षमता 8-12 लिटर) (लागत मानक रु. 0.062 लाख/प्रति इकाई)	• महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.031 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.025 लाख/प्रति इकाई।
	4.	बाँस मिशन के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार (एमआईडीएच)	
		वन क्षेत्र/ सावर्जनिक भूमि (जेएफएमसी)/ पंचायती राज संस्थान /स्वसहायता समूह/ महिला समूह इत्यादि) के माध्यम से	• लागत मूल्य का 100% तीन किस्तों में (50:25:25) (अधिकतम सब्सिडी प्रति इकाई क्षेत्र 42,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर) महिला एवं पुरुष दोनों के लिए।
3	कृषि विपणन के लिए समेकित योजना (आईएसएएम)		
	1.	पंजीकृत एफपीओ, पंचायतों, महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लाभार्थियों अथवा उनकी समितियों/स्व-सहायता समूहों के लिए कृषि विपणन संसाधन के अंतर्गत भंडारण संसाधन परियोजनाएं।	• महिलाओं के लिए 33.33% सब्सिडी (पूंजी लागत पर) जबकि पुरुषों के लिए 25% सब्सिडी। • महिलाओं के लिए अधिकतम सब्सिडी (1000 मी.टन तक 1166.55 रूपये) 1000 मी.टन से अधिक और 30,000 मी.टन तक 1000.00 रूपये। अधिकतम सीमा 300.00 लाख रूपये, जबकि पुरुषों के लिए अधिकतम सब्सिडी (1000 मी.टन तक 875.00 रूपये; 1000 मी.टन से अधिक और 30,000 मी.टन तक 750.00 रूपये, अधिकतम सीमा 225.00 लाख रूपये) ।

	2.	पंजीकृत एफपीओ, महिलाएं, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों अथवा उनकी सहकारिताओं के लिए भंडारण संसाधन के अलावा अन्य संसाधनगत परियोजनाएं।	• महिलाओं के लिए 33.33% सब्सिडी (पूंजी लागत पर) जबकि पुरुषों के लिए 25% सब्सिडी। • महिलाओं के लिए अधिकतम सब्सिडी की सीमा 500.00 लाख रूपये जबकि पुरुषों के लिए 400.00 लाख रूपये।
4	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)		
	1.	किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहन और वैल्यू चेन एकीकरण के लिए विपणन सहायता (दालों और बाजरा के स्थानीय स्तर पर विपणन के लिए अपंजीकृत किसान समूहों, महिलाओं एवं अन्य के स्व-सहायता समूहों के लिए)	• 15 किसानों के एक समूह के लिए 2.00 लाख रूपये, केवल एक बार सहायता।
	2	स्वयं चालित बागवानी मशीनें	
		फ्रूट प्लकर्स/ट्री प्रुनर्स/फ्रूट हार्वेस्टर/फ्रूट ग्रेडर/ट्रेक ट्रोली/नर्सरी-मीडिया फिलिंग मशीन/बहुउद्देशीय हाइड्रोलिक सिस्टम/छंटाई, बडिंग, झंझरी, कतरने आदि के लिए विद्युत् संचालित बागवानी उपकरण।	• महिलाओं के लिए 1.25 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 1.00 लाख रूपये।
	3.	बुवाई, रोपण, कटाई और खुदाई उपकरण	
		पोस्ट होल डिगर/ आलू बोने की मशीन/ आलू खोदक/ मूंगफली खोदक/ स्ट्रिप चालित ड्रिल/ट्रैक्टर चालित रीपर/प्याज निकालने की मशीन/ धान का पुआल निकालने की मशीन/ जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल/ऊँची क्यारी पर बोने की मशीन/ गन्ना काटने की मशीन/ स्ट्रिपर/ बोने की मशीन/सीड ड्रिल/ बोने की बहु फसल मशीन/ बहु फसल बोने	• महिलाओं के लिए 0.15 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.12 लाख रूपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर) । • महिलाओं के लिए 0.19 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.15 लाख रूपये (20-35 बीएचपी संचालित से अधिक पर) ।

		की जीरो टिल मशीन/ रिज फुरो प्लांटर	
	4.	भूमि सुधार, जुताई एवं बीजरोपण की तैयारी करने वाले उपकरण	
		एमबी प्लो/डिस्क प्लो/ कल्टीवेटर/हैरो/लेवलर ब्लेड/ केज व्हील/फरो ओपनर/रिजर/पलटानी यांत्रिक हल	• महिलाओं के लिए 0.44 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.35 लाख रूपये।
	5.	बुवाई, रोपाई, कटाई और खुदाई उपकरण	
		जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल/ऊँची क्यारी बोने की मशीन/सीड ड्रिल/ आलू खोदक/ ट्रैक्टर चालित रीपर/प्याज निकालने की मशीन	• महिलाओं के लिए 0.44 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.35 लाख रूपये।
	6.	भूमि सुधार, जुताई एवं बीजरोपण की तैयारी करने वाले उपकरण	
		एमबी प्लो/डिस्क प्लो/ कल्टीवेटर/ हैरो/लेवलर ब्लेड/ फरो ओपनर/रिजर/ गीली जुताई यंत्र	• महिलाओं के लिए 0.10 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.08 लाख रूपये।

7. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मत्स्यपालन के विकास की व्यापक संभावना को देखते हुए दिसंबर 2014 में, मत्स्यपालन क्षेत्र में "एक क्रांति" का आह्वान किया गया था और इसे "ब्लू रेवोल्यूशन" यानी नीली क्रांति का नाम दिया था। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा मत्स्यपालन क्षेत्र में नीली क्रांति को लाने के लिए कई पहल शुरू की गई ताकि एक स्थायी और जिम्मेदार तरीके से मत्स्यपालन क्षेत्र की क्षमता का दोहन किया जा सके।

8. कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना

नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के सहयोग से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने देश भर के किसानों को खेती के बेहतर तरीकों पहुँचान के लिए अनूठी योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बड़ी संख्या में उपलब्ध कृषि स्नातकों की विशेषज्ञता को उपयोग में

लाना है। चाहे आप एक पास हुए स्नातक हैं या नहीं, या आप वर्तमान में कार्यरत हैं या नहीं, आप अपना खुद का एग्रीक्लीनिक या कृषि व्यवसाय केन्द्र की स्थापना कर सकते हैं और बड़ी संख्या में किसानों को व्यावसायिक विस्तार सेवाओं की पेशकश कर सकते हैं।

इस कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध दर्शाते हुए सरकार ने भी अब कृषि स्नातकों और या कृषि से संबंद्ध क्षेत्रों बगवानी, रेशम उत्पादन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वानिकी, डेयरी, मुर्गीपालन, और मत्स्य पालन आदि में प्रारंभिक प्रशिक्षण देने प्रारंभ किया है । प्रशिक्षण पूरा करने वाले उद्यम के लिए प्रारंभिक ऋण के लिए आवेदन कर सकते है।

9. कृषि विपणन

कृषि विपणन संसाधन (एएमआई) (पूर्व में ग्रामीण भण्डारण योजना) -

पंजीकृत एफपीओ, पंचायतों, महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) /अनुसूचित जनजाति (एसटी) लाभार्थियों अथवा उनकी सहकारिताएं"/स्व-सहायता समूहों के लिए लाभार्थियों के अन्य सभी वर्गों के लिए

अनुदान (सब्सिडी)/ऋण के लिए कहां आवेदन/संपर्क करें

- ❖ वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों इत्यादि।

समय अवधि: 2 घंटे

सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता से संबंधित अतिरिक्त सरकारी योजनाएं

उद्देश्य: एसएचजी महिलाओं के उद्यम विकास के लिए और कृषि और गैर-कृषि व्यवसाय एवं सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता से संबंधित भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं की आवश्यकता और महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन करना।

तथ्य / विषय:

- सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता से संबंधित अतिरिक्त सरकारी योजनाएं।

प्रक्रिया प्रशिक्षण सामग्री:

1. चार्ट, 2. मार्कर, 3.ओवरहेड प्रोजेक्टर 4.दृश्य-श्रव्य सामग्री

प्रशिक्षण का तरीका:

- बड़े समूह में परिचर्चा, व्याख्यान, प्रश्न - उत्तर। ट्रेनर को उपरोक्त तरीका प्रयोग करने का निर्देश

1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों

के लिए घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी कनेक्शन मुहैया करती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है।

यह योजना एक धुँआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी।

पात्रता के मापदंड

- **आवेदक को 18 वर्ष की आयु से ऊपर की महिला होना चाहिए।**
- **आवेदक एक बीपीएल कार्ड धारक ग्रामीण निवासी होना चाहिए।**
- **महिला आवेदक का सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए देश भर में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाता होना चाहिए।**
- **आवेदक परिवार के घर पहले से एलपीजी कनेक्शन नही होना चाहिए।**

2. बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ 22 जनवरी 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के माता पिता को बेटी का बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीय बैंक या फिर नजदीकी पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होगा। जिसके अंतर्गत उन्हें बेटी के बैंक अकाउंट खोलने से लेकर 14 वर्ष की आयु तक एक निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी। यह बैंक अकाउंट बेटी के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खुलवाया जा सकता है। इस Beti bachao beti padhao yojana को हमारे देश की बेटियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए और उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आरंभ किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटी के 14 वर्ष होने तक माता-पिता को धनराशि जमा करनी होगी। बेटी के 18 वर्ष के होने के बाद इस धनराशि का 50% निकाला जा सकता है और बेटी के 21 वर्ष पूरा होने के बाद बेटी के विवाह के लिए पूरी धनराशि निकाली जा सकती है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पात्रता

- **इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए बेटी की आयु 10 वर्ष होनी चाहिए।**
- **बेटी के नाम पर एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला होना चाहिए।**
- **बेटी भारत की स्थाई निवासी होने चाहिए।**

Beti Bachao Beti Padhao Scheme के दस्तावेज़

- **आधार कार्ड**
- **माता पिता का पहचान पत्र**
- **बेटी का जन्म प्रमाण पत्र**
- **मोबाइल नंबर**
- **निवास प्रमाण पत्र**
- **पासपोर्ट साइज फोटो**

3. सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि भारत की एक छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत की गयी | जिसके अंतर्गत माता-पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए । यह खाता किसी भी डाकखाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है ।

- खाता कौन खोल सकता है: कन्या की ओर से प्राकृतिक/विधिक संरक्षक
- आयु सीमा: कन्या के 10 वर्ष की आयु पूरी करने तक
- खातों की अधिकतम संख्या: अधिकतम दो कन्या शिशु अथवा जुड़वा कन्या के मामले में अधिकतम क्योंकि दूसरे जन्म या पहले जन्म में ही तीन कन्या शिशु पैदा होते हैं
- न्यूनतम तथा अधिकतम जमा रकम: एक सौ रुपये के गुणक में न्यूनतम प्रारम्भिक जमा `1,000/- उसके बाद एक वित्त वर्ष में `1,50,000/- की अधिकतम सीमा।
- योजना की अवधि: खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष
- जमा किए जा सकने की अधिकतम अवधि: खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष
- जमा पर ब्याज: भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए अनुसार, मासिक ब्याज भुगतान के विकल्प सहित वार्षिक रूप से पूर्ण हजारों में चक्रवृद्धित शेष राशि.
- कर छूट: आयकर अधिकनियम,1961 की धारा 80सी के तहत लागू।
- अनियमित भुगतान/ खाते का पुनर्प्रवर्तन: प्रति वर्ष न्यूनतम विनिर्दिष्ट रकम सहित प्रति वर्ष `50 के भुगतान के बाद।
- आहरण: 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उच्च शिक्षा, विवाह के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में रखे गए शेष का 50%
- परिपक्वता पूर्व बंद करना: जमाकर्ता की मृत्यु अथवा अत्यधिक अनुकंपा के आधार पर यथा प्राणघातक बीमारियों की स्थिति में केन्द्रीय सरकार के आदेश से अधिकृत होने पर अनुमत। 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या के विवाह की स्थिति में, एक हलफनामा तथा विवाह का उपयुक्त साक्ष्य देकर खाता बंद किया जा सकता है।

4. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) देश में तीन करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। यह

कार्यक्रम उन सभी गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है जो गर्भावस्था के 2 और 3 ट्राइमेस्टर में हैं। पीएमएसएमए योजना के तहत, सभी सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र हर महीने की नवीं तारीख़ को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं (निशुल्क चिकित्सा जांच और दवाओं सहित) का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के लिए पात्रता

- यह योजना केवल गर्भवती महिलाओं के लिए लागू है ।
- योजना उन महिलाओं के लिए है जो शहरी क्षेत्रों या अर्ध-शहरी क्षेत्रों से नहीं हैं ।
- ग्रामीण इलाकों से गर्भवती माताओं को इस नि: शुल्क स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा ।
- गर्भावस्था के 3 से 6 महीने में महिलाएं इस प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी ।

5. प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना 2021:

केंद्र सरकार द्वारा देश की गरीब महिलाओ को रोजगार दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए

फ्री सिलाई मशीन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि पूरे देश में महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि महिलाएं किसी पर बोझ न हों। सरकार पूरे देश में गरीब परीवारों को मुफ्त में सिलाई मशीन बाँट रही है। अभी फिलहाल यह मुफ्त सिलाई मशीन योजना महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में चल रही है। इस योजना के अंतर्गत देश की सभी श्रमिक महिलाओं को सरकार द्वारा निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। जिसके ज़रिये श्रमिक महिलाये घर बैठे लोगो के कपडे सी कर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकती है। इस फ्री सिलाई मशीन योजना 2021-

22 के अंतर्गत जो महिला लाभ प्राप्त करना चाहती है, तो उनकी आयु 20 से 40 वर्ष तक ही होनी चाहिए। कुछ महिलाये अपनी बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती हैं और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति भी बदतर है। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने यह एक बहुत अच्छी पहल की है। पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना के तहत सिलाई मशीन मुफ्त में वितरित की है।

सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड का होना आवश्यक है।

- इस योजना के अंतर्गत केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ही पात्र माना जायेगा।
- मुफ्त सिलाई मशीन योजना 2021 के तहत आवेदन करने वाली महिलाओ की आयु 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना के ज़रिये देश की श्रमिक महिलाओ को रोजगार के लिए प्रेरित करना।
- मुफ्त सिलाई मशीन योजना 2021 के अंतर्गत महिला के पति की आय 12,000 रूपये से कम होनी चाहिए।
- साथ ही देश की विधवा और विकलांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

आवेदन निशुल्क सिलाई मशीन योजना 2021

इस योजना के अंतर्गत जो इच्छुक श्रमिक महिलाए आवेदन करना चाहती है तो उन्हें सर्वप्रथम भारत सरकार की Official Website-https://www.india.gov.in/hi/ पर जाना होगा | Official Website पर जाने के बाद आपको वहाँ से आवेदन फॉर्म को Download करना होगा| Application Form Download करने बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि भरना होगा |

6. प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के द्वारा मुख्य रूप से दलित वंचित पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता उनके उच्च शिक्षा को जारी रखने के लिए दी जाएगी। इस योजना के द्वारा सरकार कक्षा 9 से उपर के छात्रों को उचित छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

पात्रताए:-

- भारत के अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या गरीब छात्र होना चाहिए।
- छात्र या छात्रा को कक्षा 9 से स्नातक तक के बीच का ही एक छात्र होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड या यूनिवर्सिटी मेरिट आधार की आवश्यकता नहीं होगी।

- ❖ सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता को भारत का ही नागरिक होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज:-

- छात्र का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड
- फीस की रसीद
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो

7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

आरएसबीवाय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु आरंभ की गई है। आरएसबीवाय का उद्देश्य स्वास्थ्य आघातों से उत्पन्न वित्तीय देयताओं से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें अस्पताल में भर्ती करना शामिल है।

योग्यताएं

- ❖ असंगठित क्षेत्र के कामगार जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं और उनके परिवार के सदस्य (पांच सदस्यों की परिवार इकाई) को योजना के तहत् लाभ मिलेंगे।
- ❖ कार्यान्वयन एजेंसियों की जिम्मदारी होगी कि वे असंगठित क्षेत्र के कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों की योग्यता का सत्यापन करें, जिन्हें योजना के तहत् लाभ मिलने का प्रस्ताव है।
- ❖ लाभार्थियों को पहचान के उद्देश्य के लिए स्मार्टकार्ड जारी किए जाएंगे

लाभ

लाभार्थियों को उक्त आंतरिक स्वास्थ्य देखभाल बीमा लाभों की पात्रता होगी जिन्हें लोगों / भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाएगा। जबकि, राज्य सरकारों को पैकेज / योजना में निम्नलिखित न्यूनतम लाभों को शामिल करने की सलाह दी गई है :

- ❖ असंगठित क्षेत्र के कामगार और उनके परिवार (पांच की इकाई) शामिल किए जाएंगे।
- ❖ प्रति परिवार प्रति वर्ष पारिवारिक फ्लोटर आधार पर कुल बीमा राशि 30,000/- रुपए होगी।
- ❖ सभी शामिल बीमारियों के लिए नकद रहित उपस्थिति।
- ❖ अस्पताल के व्यय, सभी सामान्य बीमारियों की देखभाल सहित कुछ निष्कासन संभव हैं।
- ❖ सभी पूर्व - मौजूद रोग शामिल किए जाएं।
- ❖ परिवहन लागत (प्रति विजिट अधिकतम 100 रुपए के साथ वास्तविक) के साथ 1000 रुपए की समग्र सीमा।

8. आम आदमी बीमा योजना

वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू की गई आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों

के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना जीवन बीमा कवरेज के लाभ के साथ राज्य के ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया को आंशिक और स्थायी विकलांगता के लिए या फिर परिवार के एक कमाऊ सदस्य को कवरेज प्रदान करेगी और 9वीं से 12वीं कक्षा में उनके पढने वाले बच्चों को शैक्षिक सहायता जैसे विस्तारित लाभ भी उपलब्ध कराएगी।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की इस योजना के तहत, आम आदमी बीमा योजना नए लाभों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिससे और लोग इसका फायदा उठा पाएंगे ।

योजना का पात्रता

सदस्य की आयु 18 वर्ष पूर्ण एवं 59 वें जन्म-दिन के समीप के बीच होनी चाहिए।

सदस्य को परिवार का मुखिया या गरीबी रेखा के नीचे के परिवार (बीपीएल) का एक कमाने वाला सदस्य या पहचाने गए व्यावसायिक समूह/ ग्रामीण भूमिहीन परिवार के अंतर्गत गरीबी रेखा से थोडा ऊपर होना चाहिए।

प्रीमियम

प्रीमियम रु. 30,000/- की सुरक्षा के लिए प्रति व्यक्ति रु. 200/- प्रति वर्ष के रूप में लगाया जायेगा जिसमें से सामाजिक सुरक्षा निधि से 50% प्रीमियम राज्य सरकार/ संघ क्षेत्र द्वारा वहन किया जायेगा तथा अन्य पेशेवर समूह के मामले में शेष 50% प्रीमियम नोडल एजेंसी तथा/ या सदस्य तथा/ या राज्य सरकार/ संघ क्षत्र द्वारा वहन किया जायेगा।

- ❖ दुर्घटना मृत्यु / विकलांगता लाभ के लिए मास्टर पालिसी धारक से कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा।
- ❖ प्रीमियम का वार्षिक रूप से भुगतान किया जायेगा। भुगतान के स्वरुप में कोई छूट नहीं दी जाएगी। आगे, प्रीमियम वास्तविक दावा अनुभव की शर्तानुसार होगी यथा यदि किसी समूह के साथ प्रतिकूल या अनुकूल रहा तो हम उसे उच्च अथवा निम्न प्रीमियम कहेंगे। तथापि अर्थसहाय लागू प्रीमियम के 50% तक ही सीमित रहेगा।

छात्रवृति लाभ

9वीं से 12वीं के बीच पढने वाले अधिकतम दो बच्चों को रु. 100/- प्रति बच्चे के हिसाब से मुफ्त लाभ के रूप में छात्रवृति दी जाएगी। इसका भुगतान वार्षिक रूप से प्रतिवर्ष पहली जुलाई और पहली जनवरी को किया जायेगा ।

9. गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना

अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू. 56460/- व ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46080/- तक होती है एवं वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष हो, को रूपये 20000/- की अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाती है। योजनान्तर्गत आवेदन से लेकर भुगतान तक समस्त प्रक्रिया पूर्णतया आन लाइन है।

आवेदक द्वारा विवाह तिथि से 90 दिन पूर्व से 90 दिन पश्चात् तक आवेदन वेबपोर्टल पर किये जाने की व्यवस्था है।

लाभार्थी: अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू. 56460/- व ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46080/- तक होती है।
लाभ: रूपये 20000/- की अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाती है।
आवेदन: समाज कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश सरकार, उत्तरप्रदेश।

10.स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को भारत में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए और इसे 'खुले में शौच मुक्त्त (ODF)' बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्तूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। पूर्व में संचालित निर्मल भारत अभियान के स्थान पर

02 अक्टुबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गयी गई है जिसका उददेश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को 02 अक्टुबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में स्वच्छता के माध्यम से सुधार लाना, सूचना शिक्षा एवं संचार के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं का बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ सफाई की आदतों को बढ़ावा देना, सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त तकनीकी को बढ़ावा देना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन सुनिशिचत करना इस योजना का मुख्य उददेश्य है।

11.हर घर नल योजना

इस योजना के अंतर्गत 2024 तक सरकार देश के हर ग्रामीण इलाके में पीने के पानी का कनेक्शन प्रदान करेगी। अब ग्रामीण इलाके के किसी भी नागरिक को पीने का पानी के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें उनके घर में ही पीने का साफ पानी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

लाभ: - लोगों को घर पर ही पीने का साफ पानी मिलेगा, इसके लिए उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा ।

12. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

आयुष्मान भारत (पीएम-जय) दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज गरीब और वंचित परिवारों को उपलब्ध कराना हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी / पैनल अस्पतालों तथा निजी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी

दस्तावेज़

- आधार कार्ड, परिवार के सभी लोगो का नाम, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, पते का सबूत

पात्रता

- सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की ऑफिसियल वेबसाइट_पर जाये |
- इसके पश्चात् आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर “AM I Eligible” का विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक कर दीजिये | विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी |
- इसके बाद योग्य अनुभाग के तहत लॉगिन के लिए अपने मोबाइल नंबर को OTP के साथ सत्यापित करे |
- लॉगिन करने के पश्चात् प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में अपने परिवार की पात्रता की जांच करे इसके बाद दो विकल्प दिखाई देंगे पहले विकल्प में अपने राज्य चुने
- इसके पश्चात् फिर दूसरे विकल्प में तीन श्रेणियाँ मिलेंगी नाम से अपने राशन कार्ड से तथा मोबाइल नंबर से खोजे दी गयी श्रेणियों में से एक को चुन सकते है| इसके बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दीजिये|
- दूसरे तरीके में अगर आप जन सेवा केंद्र (CSC)के माधयम से अपने परिवार की पात्रता की जांच करना चाहते है तो आपको जनसेवा केंद्र में जाना होगा और अपने सभी मूल दस्तावेज़ को एजेंट के पास जमा कर दीजिये इसके बाद एजेंट आपके दस्तावेज़ के ज़रिये आपकी पात्रता की जांच अपने जन सेवा केंद्र (CSC) से लॉगिन करेंगे |

आवेदन

- सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत आवेदन करने के लिए जन सेवा केंद्र (CSC) में जाये और अपने सभी मूल दस्तावेज़ की छाया प्रति को जमा कर दे | इसके

पश्चात् जनसेवा केंद्र (CSC) के एजेंट द्वारा सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन करके योजना के तहत पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे तथा आपको पंजीकरण प्रदान करेंगे | इसके पश्चात् 10 से 15 दिन के बाद आपको जन सेवा केंद्र के द्वारा आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड प्रदान किया जायेगा | इसके बाद आपका पंजीकरण सफल हो जायेगा |

13.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के विकास को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने PMMVY योजना बनाई है । इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और हाल ही मे मां बनी महिलाओं को 5000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। 5000 रुपये तीन अलग-अलग किश्तों में दी जाती है | काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के प्रभाव को कम करना ।

योजना के लाभ:

इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार निम्नलिखित किश्तों में राशि का भुगतान करेगी।

- पहली किस्त: 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय
- दूसरी किस्त: 2000 रुपए,यदि लाभार्थी छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कर लेते हैं ।
- तीसरी किस्त: 2000 रुपए, जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है ।

समय अवधि: 2 घंटे

सेंटर ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (सीटेड)

इ-६, सेक्टर-२१, इंडस्ट्रियल एरिया, जगदीशपुर जिला - अमेठी, उत्तर प्रदेश - २२७८१७,
फोन न. - +91-9415046619, 05361 - 270320, ईमेल - ctedinfo@gmail.com